तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टिए/3737/2005/नागौर** **गोरधनराम बनाम देवेन्द्र सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-12-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री एस0पी0 सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत अति0 कलक्टर, डीडवाना द्वारा अपील संख्या 05/2005 शीर्षक गोरधन राम बनाम देवेन्द्र सिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30-06-2005 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को निगरानी पर सुना गया। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण गोरधन वगैरा द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत ग्राम पंचायत, सुनारी को दिनांक 15-6-2000 को आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें अनुतोष चाहा गया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 428 व 429 में आने जाने का कदीमी रास्ता 100 वर्षो से ग्राम ओडिट एवं मलासी से हीरवती जाने वाले रास्ते से फठ कर स्व0 मोहनकंवर बेवा सांवत सिंह के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 318 में से हो कर पीढियों से चला आ रहा है जिसे स्व0 मोहनकंवर बेवा सांवत सिंह के वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को बन्द कर रहे हैं, जिनको पाबन्द किया जाये और रास्ता खुलवाया जाये। ग्राम पंचायत ने निर्णय दिनांक 6-7-2000 से रास्ते को कदीमी मानते हुये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया। इसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अति0 कलक्टर, डीडवाना ने निर्णय दिनांक 4-3-2003 से प्रकरण को तहसीलदार, लाडनूँ को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया कि पक्षकारान को सुन कर निर्णय करें। तहसीलदार, लाडनूं ने अविधिक रुप से दिनांक 25-2-2005 से प्रार्थना पत्र को क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानते हुये खारिज किया है और इसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ अति0 कलक्टर ने भी भूल की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु को ध्यान	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टिए/3737/2005/नागौर** **गोरधनराम बनाम देवेन्द्र सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में नहीं रखा है कि प्रश्नगत रास्ता कदीमी है और प्रार्थीगण पीढियों से खसरा नम्बर 318 में स्थिति रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। ग्राम पंचायत ने भी मौका देख कर रास्ते को कदीमी होना माना है। जब पूर्व में अति0 कलक्टर ने प्रकरण को तहसीदार को प्रति प्रेषित किया था तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रकरण तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का था, अतः इसे क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज करना उचित नहीं है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों में तात्विक रुप से अनियमितता होने से, निगरानी स्वीकार की जाए और अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाए। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें कटाणी रास्ता की मांग की गई है और कटाणी रास्ता घोषित करने के लिए धारा 251–क के तहत उपखण्ड अधिकारी को आवेदन करना चाहिए। मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई निगरानी में भी प्रार्थीगण द्वारा धारा 251–क के प्रार्थना पत्र दिनांक 15–6–2000 को स्वीकार करने का निवेदन किया है। तहसीलदार का क्षेत्राधिकार धारा 251 के तहत पुराने रास्ते को खुलवाने का ही रहता है, धारा 251–क के तहत कटाणी रास्ते हेतु प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन करना चाहिए था। अतः तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर सही प्रकार से प्रकरण को निस्तारित किया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी इसे सही प्रकार से पुष्ट किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने से तथा निगरानी का स्कोप अन्यन्त सीमित होने से तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं होने से निगरानी खारिज की जाये। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावलियों व सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15–6–2000 को ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया है कि “खसरा नम्बर 428 व 429 में आने जाने का कदीमी रास्ता ग्राम मलासी से हीरवती जाने वाले कटाणी रास्ते से फट कर स्व0	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/3737/2005/नागौर</u>** **<u>गोरधनराम बनाम देवेन्द्र सिंह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मोहनकंवर बेवा सांवत सिंह के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 318 में से हो कर जाता है। अतः मौका निरीक्षण कर ग्राम पंचायत मुझे रास्ता दिलवाने की कृपा करे।" ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 6–7–2000 से रास्ते को कदीमी मानते हुये तहसीलदार, लाडनूॅ को लिख गया कि इस रास्ते को कटाणी रास्ता घोषित किया जाए। तहसीलदार की आदेशिका दिनांक 24–2–2000 में प्रकरण को धारा 251 का होना अंकित किया है। निर्णय दिनांक 25–2–2005 में प्रार्थी द्वारा कटाणी रास्ता घोषित कराने का अनुतोष मानते हुये, प्रकरण को क्षेत्राधिकार में होना नहीं माना है। धारा 251 के प्रावधानों के अनुसार रास्ते या अन्य निजी सुखाचार में बाधित किए जाने की स्थिति में कार्यवाही हेतु तहसीलदार को क्षेत्राधिकार प्राप्त है और धारा 251–क अन्य खातेदार की जोत में से हो कर नया मार्ग खोलने हेतु, क्षेत्राधिकार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में प्रकरण धारा 251 से संबंधित है या धारा 251–क से संबंधित है। तहसीलदार, लाडनूॅ द्वारा दिनांक 25–2–2005 को जो निर्णय पारित किया है उसमें, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के तथ्यों के बारे में कोई विवेचना नहीं की है, अतः यह स्पष्ट रुप से तय नहीं होता है कि प्रकरण धारा 251 से संबंधित है या धारा 251–क से संबंधित रहा है। फलतः प्रकरण का निस्तारण करते हुये तहसीलदार, लाडनूॅ को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुये, गोरधन राम वगैरा प्रस्तुत किए गए मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 15–6–2000 के तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुये, विधि अनुकूल निर्णय पारित करें। उभय पक्ष दिनांक 28.12.2018 को तहसीलदार, लाडनूॅ के समक्ष उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	